बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २९ मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

हरिजन नगरपालिका कर्मचारियों के लिये अनुदान।

२३८। श्री भागवत प्रसाद—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपने बजट में तीन लाख पये नगरपालिकाओं में काम करने वाले हरिजन कर्मचारियों के घर बनवाने के लिये रखा था जिसे विभिन्न नगरपालिकाओं को खर्च करने के लिये अनुदान रूप में दिया गया था;

(ख) क्या यह बात सही है कि १९५४-५५ के बजट में भी इस काम के लिये दो लाख रुपये हैं;

(ग) क्या यह बात सही है कि गत बार कई नगरपालिकाओं ने उस अनुदान से हरिजन कर्मचारियों का मकान नहीं बनाया तथा कुछ ने उक्त अनुदान को एकदम दूसरे काम में खर्च कर दिया;

(घ) पूर्व अनुभव के आधार पर सरकार क्या इस बार भी उक्त दो लाख रुपयों को नगरपालिकाओं द्वारा खर्च करने का निश्चय करना चाहती है, यदि हां, तो क्यों?

श्री भोला पासवान—(क) १९५०-५१ एवं १९५१-५२ के आर्थिक वर्ष में ७,१७,५०० रुपये की रकम राज्य के २८ नगरपालिकाओं को उनमें काम करने वाले मेहतरों के मकान बनवाने के लिये उन्हीं के द्वारा खर्च करने के लिये अनुदान के रूप में दिया गया था। इस आशय का एक विवरण मेज पर रखा गया है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) अभी तक कुछ कठिनाइयों के कारण भागलपुर, कौलगांव, आरा और पुरुलिया में मकान नहीं बन सके। सिर्फ कौलगांव नगरपालिका ने अनुदान की रकम को दूसरे मद में खर्च कर दिया था परन्तु उचित कार्रवाई के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र मकान बनाने का आश्वासन मिला है।

(घ) यह बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री भागवत प्रसाद—जिन चार नगरपालिकाओं ने काम समय पर नहीं किया उनके वि द्ध सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की?

श्री भोला पासवान—जल्द से जल्द मकान बनवाने के लिये लिखा गया है।

(ग) आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रबंध सरकार करती आई है। फिर भी हर एक साल बहुतेरे विद्यार्थी इस प्रबंध से लाभ नहीं उठा सकते हैं। कारण यह है कि इस प्रबंध के उद्देश्य से जो कोष स्वीकृत किया जाता है वह हरएक प्रार्थी के उपयुक्त नहीं होता है। अतः प्रार्थियों के बीच तुलनात्मक परीक्षण की जाती है। परीक्षण छात्रवृत्ति समिति के द्वारा की जाती है और यह समिति जिन विद्यार्थियों की सिफारिश करती है उन्हें सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। अतः यह कहना दुष्कर है कि अगले वर्ष में भी इस स्कूल के विद्यार्थियों को सहायता दी जा सकेगी अथवा नहीं।

राज्य के हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिय कर्ज।

१५०२। श्री भागवत प्रसाद—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) ३१ दिसम्बर, १९५३ तक सरकार की ओर से राज्य के हरिजनों को कुटीर उद्योगों के लिये कुल कितने रुपये कर्ज मिले ;

(ख) इस कर्ज की रकम राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी थी ;

(ग) जिस तरह से हरिजन विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की रकम प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित कर दी गयी है, क्या उसी तरह इस कर्ज की रकम भी प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित है, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला पासवान—(क) कुल ३,४८,१७० रु०।

(ख) इसका ब्योरा मेज पर रखा है।

(ग) सन् १९५१-५२ से ही सरकार प्रत्येक जिले के लिए यह रकम हरिजनों के आबादी के अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित करती है लेकिन रकम के अनुसार जिलाधीशों के यहां से समय पर आवेदन-पत्र नहीं आने से इस रकम में हेर-फेर भी कर दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या १५०२ के उत्तर का विवरण।

सन्।	जिला।	कर्ज की रकम।
		रुपया
१९४८-४९	दरभंगा	५००
१९४९-५०	(१) दरभंगा	१,०००
	(२) पटना	१,४००
	(३) चम्पारण	२,०००
	(४) मुंगेर	४००
	(५) पूर्णिया	४००
	(६) मानभूम	१४,०००
	(७) गया	४००

सन्	जिला।	कर्ज की रकम रुपया।
१९५०-५१	(१) रांची..	१,०००
	(२) सिंहभूम	५००
	(३) सारन	५,१००
	(४) मानभूम	३,५००
	(५) संथाल परगना	१,५००
	(६) पूर्णिया	४,०००
	(७) मुंगेर	५,०००
	(८) शाहाबाद	७,०००
	(९) गया	९,०००
	(१०) पटना..	१०,०००
	(११) मुजफ्फरपुर	४,३००
	(१२) भागलपुर	१०,०००
	(१३) दरभंगा	२,१५०
	(१४) हजारीबाग	१०,८००
	(१५) चम्पारण	१८,०३०
	(१६) सहरसा	७,०००
	(१७) धनबाद	१,०००
१९५१-५२	(१) पटना..	३,८२५
	(२) गया	१७,०००
	(३) शाहाबाद	७,०००
	(४) मुजफ्फरपुर	१४,५००
	(५) सारन	८,१००
	(६) दरभंगा	१२,९५०
	(७) पुर्णिया	७,५००
	(८) मुंगेर..	१३,०००
	(९) पलामू	२,५६५
	(१०) सिंहभूम	५००
	(११) रांची..	१०,४५०
	(१२) चम्पारण	१४,९००
	(१३) हजारीबाग	९,९००
१९५२-५३	(१) पटना..	९,८००
	(२) गया	३,९००
	(३) शाहाबाद	७,२००
	(४) सारन	८,१००
	(५) चम्पारण	७,४००

सन्	जिला।	कर्ज की रकम रूपया।
	(६) दरभंगा	५,०००
	(७) मुजफ्फरपुर	१०,६००
	(८) मुंगेर	८,७००
	(९) भागलपुर	३,४००
	(१०) हजारीबाग	६,३००
	(११) रांची	४,४००
	(१२) मानभूम	१,७५०
	(१३) पलामू	११,९००
	(१४) सिंहभूम	४,०००
	(१५) धनबाद	६,४५०
	(१६) पूर्णिया	७,२००

१९५३-५४—३१ दिसम्बर, १९५३ तक कुछ भी नहीं।

आदिवासियों के सांस्कृतिक उत्थान पर खर्च।

*१५०३। श्री सुपाई मुर्मु—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आदिवासियों के सांस्कृतिक उत्थान (कल्चरल डेभलपमेंट) की योजना (स्कीम) में सन् १९५२-५३ और सन् १९५३-५४ में क्रमश: ४९,०३२, और ६३,४४४ रुपये खर्च हुए हैं, यदि हां, तो योजना क्या है?

श्री भोला पासवान—१९५२-५३ के आंकड़े के संबंध में उत्तर स्वीकारात्मक है। चलते आर्थिक वर्ष के अन्त होने के बाद ही १९५३-५४ के व्यय के आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। १९५३-५४ के आय-व्ययक में इस मद के निमित्त ६३,४४० रु० की व्यवस्था है। इन योजनाओं का विवरण पत्र विधान सभा के मेज पर रख दिया गया है।

अध्यक्ष—योजना क्या है और किस काम के लिए खर्च होता है?

श्री भोला पासवान—सांस्कृतिक उत्थान में आदिवासियों को जैसे भाषा इत्यादि सिखलाने में खर्च होता है।

No. A/E1-2061/54-W.—2737.

GOVERNMENT OF BIHAR.

WELFARE DEPARTMENT.

FROM

K. P. Ojha, Esqr., B.A., B.L.,
Under-Secretary to Government.

To

The Additional Deputy Commissioner, Singhbhum,

Patna, the 17th March, 1954.

SUBJECT.—Purchase of Jeep car for supervision of the working of the Kharia Settlement Scheme.

Sir,

I AM directed to say that in supersession of the orders of Government contained in this Department memo. no. 9879, dated the 5th November, 1953 and letter no. 11553, dated the 26th Decem-